अतारां. प्रश्न क्रमांक - 1009 का परिशिष्ट - 1 [17/3/2022]

परिशिष्ट-'01'

प्रश्न सं. [क. 1009]

न्यायालय कलेक्टर, जिला छतरपुर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक- 63/स्वप्रेरणा निगरानी/अ-20-4/2004-05

शासन म0प्र0

- निगरानीकर्ता

बनाम

राकेश जैन, बसंत जैन पुत्रगण खुशाल चंद्र जैन
निवासी बेनीगंज मोहल्ला, छतरपुर

- गैर निगरानीकर्ता

आदेश

(आज दिनांक 31-5-2006 को पारित एवं उद्घोषित)

नजूल अधिकारी, छतरपुर के पत्र क्रमांक 193/नजूल/2002 दिनांक 17-5-2002 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन से यह संज्ञान पर आने पर कि नजूल अधिकारी छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 64/अ-20-4/96-97 में पारित आदेश दिनांक 02-2-98 के द्वारा जारी नजूल निरापत्ति में अधिरोपित शर्तों का गैर निगरानीकर्ताओं के द्वारा उल्लंघन किए जाने के कारण आलोच्य प्रकरण क्रमांक 64/अ-20-4/96-97 स्वप्रेरणा निगरानी में दर्ज किया गया ।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नजूल अधिकारी छतरपुर के द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 02-2-98 के द्वारा गैर निगरानीकर्ताओं को छतरपुर नगर के वार्ड क्रमांक 29 में भवन क्रमांक 102 के 523 वर्गफुट पर सामान्य शर्तों के अधीन नजूल निरापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसमें यह शर्त भी अधिरोपित थी कि मध्य सड़क से 32 फीट छोड़कर ही निर्माण कार्य किए जावें एवं किसी भी प्रकार से शासकीय एवं अन्य भूमियों पर अतिक्रमण होने की स्थिति में नजूल निरापत्ति प्रमाण पत्र स्वमेव निरस्त माना जावेगा । छत्रसाल चौराहा के निवासियों के द्वारा इस आशय की शिकायत प्रस्तुत की गई कि गैर निगरानीकर्ताओं के द्वारा मैन रोड पर चबूतरा को बनाया जा रहा है, रजिस्टर्ड विक्रय विलेख फर्जी है एवं एन0ओ0सी0 की शर्तों का उल्लंघन करते हुए शासकीय नजूल भूमि को हड़पने का प्रयास किया गया है । उपरोक्त शिकायत की जांच सहायक भू-मापाधिकारी, नजूल जांच से कराए जाने पर उनके प्रतिवेदन क्रमांक 34/स0भू0मा0अ0/2001 छतरपुर दिनांक 18-4-2001 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रश्नाधीन भू-खण्ड नजूल नगर छतरपुर की शीट क्रमांक 29 स में स्थित है । भू-खण्ड क्रमांक-9 रकबा 104 वर्गमीटर के अंशभाग 28 वर्गमीटर पर गैर निगरानीकर्ताओं के द्वारा दो मंजिला भवन का निर्माण किया गया है । भू-खण्ड के शेष क्षेत्रफल 76 वर्गमीटर पर काशीप्रसाद साहू का कब्जा है । भू-खण्ड क्रमांक-9 के अंश भाग 28 वर्गमीटर के आगे भू-खण्ड क्रमांक-3 सड़क पक्की नजूल भूमि के 2.70 गुणा 4 कुल 10.80 वर्गमीटर भूमि को अतिक्रमित कर पक्के चबूतरे का निर्माण गैर निगरानीकर्ताओं के द्वारा किया गया है ।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर नजूल अधिकारी छतरपुर ने शासकीय बहुमूल्य नजूल भूमियों की सुरक्षा हेतु नजूल निरापत्ति विषयक प्रकरण को निगरानी में लिए जाने के अनुरोध को समादर देते हुए प्रकरण को स्वप्रेरणा निगरानी में दर्ज कर म0प्र0भू-राजस्व

-2-

अता. प्रश्न क्र. 1009 का परिशिष्ट - 1

② 53

संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत गैर निगरानीकर्ताओं को कारण बताओ नोटि जारी किया गया । गैर निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत जवाब में नजूल भूमि पर अतिक्रम से इंकार किया है । साथ ही नजूल निरापत्ति की विहित शर्तों के अधीन ही उनके द्वार निर्माण कार्य कराया गया है । अतः मात्र शिकायतकर्ताओं की इच्छा के अनुरूप बगैर आधा के प्रकरण कायम कर सम्पूर्ण कार्यवाहियां की गई हैं । अतः जारी कारण बताओ नोटिस निरस्त करने का अनुरोध गैर निगरानीकर्ताओं ने अपने जवाब में अंकित किया है ।

गैर निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक के तर्क श्रवण किए गए । अधीनस्थ नजूल अधिकारी के प्रकरण का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया । गैर निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि पंजीयत विक्रय विलेख क्रमांक 2222 दिनांक 24 जनवरी 1997 के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि क्रय की गई है । गैर निगरानीकर्ता के द्वारा पंजीयत विक्रय विलेख में अंकित चौहद्दी एवं क्षेत्रफल के अनुसार ही निर्माण कार्य कराया गया है, ऐसी स्थिति में स्वप्रेरणा निगरानी के आधार विधि द्वारा पोषित न होने से जारी कारण बताओ नोटिस निरस्त करने का कष्ट करें ।

प्रकरण का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि पंजीयत विक्रय विलेख क्रमांक 2222 दिनांक 24.01.97 में विक्रीत खसरा नं0 का उल्लेख नहीं है । नजूल निरापत्ति आदेश दिनांक 02.02.98 की कंडिका 6(4) में मध्य सडक से 32 फीट पश्चात् निर्माण हेतु अनापत्ति प्रदान की गई है, जबकि मध्य सडक 23/2 अर्थात् 11.50 मीटर अर्थात् 37 फीट संगणित होती है । मुताबिक स्थल जांच प्रतिवेदन अनावेदक के द्वारा किए गए निर्माण से रोड का 5 फीट चौडा रकबा बचना चाहिए था, परन्तु उसके द्वारा 8.91 फीट रकबा रोड का अतिक्रमित कर चबूतरे का निर्माण किया गया है । नजूल जांच प्रकरण क्रमांक 664/अ-20-1/83-84 में भू-खण्ड क्रमांक 9 के रकबा 104 वर्गमीटर पर सिविल वाद क्रमांक 85/92 निर्णय दिनांक 04-01-93 के द्वारा त्रुटिपूर्ण ढंग से रकबे का इन्द्राज कराये जाने के कारण नजूल भूमि की सुरक्षा प्रभावित हुई है अतः उपरोक्त तथ्य का विचारण किए बगैर नजूल अधिकारी छतरपुर के द्वारा नजूल निरापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है, जो स्थिर नहीं रखा जा सकता है ।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आलोच्य स्वप्रेरणा निगरानी स्वीकार की जाती है एवं नजूल निरापत्ति प्रमाण पत्र में अधिरोपित शर्तों का गैर निगरानीकर्ता के द्वारा उल्लंघन किए जाने से नजूल अधिकारी छतरपुर के प्रतिवेदन क्रमांक 193/नजूल/02 दि0 17.05.02 को समादर प्रदान करते हुये नजूल अधिकारी छतरपुर के प्र.क. 64/अ-20-4/96-97 में पारित आदेश दिनांक 02.02.98 के द्वारा जारी नजूल निरापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है । तहसीलदार छतरपुर एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी छतरपुर को निर्देशित किया जाता है कि आदेशानुसार गैरनिगरानीकर्ताओं के द्वारा बहुमूल्य नजूल भूमियों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

आदेश पारित एवं उद्घोषित ।

(अजातशत्रु)
कलेक्टर
जिला छतरपुर म0प्र0

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
राजस्व विभाग (शाखा -

12.6.06